प्रेस विज्ञप्ति

दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार के संदर्भ में वस्तुस्थिति / स्पष्टीकरण

दिनांक 17.10.2008 के दैनिक भास्कर में राजकीय कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते के बकाया (arrears) के संबंध में प्रकाशित समाचार के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

(1) राज्य कर्मचारियों के वेतनमान दिनांक 01.09.2006 से संशोधित किये जाने के राज्य सरकार ने दिनांक 12.09.2008 को आदेश जारी किये हैं तथा मकान किराया भत्ता भी संशोधित वेतनमानों के साथ केन्द्र के समान दिनांक 01.09.2008 से स्वीकार किया गया है। दिनांक 01.09.2006 से 31.08.2008 तक की अवधि के लिये मकान किराया भत्ता दिनांक 01.09.2006 से पूर्व लागू वेतनमानों में देय वेतन के आधार पर जो भुगतान किया गया है, वही देय है और उसमें संशोधित वेतनमानों के कारण कोई एरियर देय नहीं है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते के संबंध में दिनांक 12.09.2008 के आदेश के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया है।

(2) केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से संशोधित किये हैं और मकान किराया भत्ता दिनांक 01.09.2008 से संशोधित किया है। अतः केन्द्रीय कर्मचारियों को भी मकान किराये भत्ते का 32 महिने का एरियर नहीं दिया गया है। 32 महिने की अवधि में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को भी मकान किराया भत्ता संशोधित वेतनमानों से पूर्व के वेतनमानों के आधार पर ही दिया गया है।

(3) इस प्रकार राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के अनुरूप ही मकान किराये भत्ते की दरों में दिनांक 01.09.2008 से संशोधन किया है।

(4) पांचवे वेतन आयोग के आधार पर वेतनमान संशोधित करते समय केन्द्र सरकार ने मकान किराये भत्ते की दरें दिनांक 01.08.1997 से संशोधित की थी, जबकि राज्य सरकार ने दिनांक 01.01.1998 से। केन्द्र सरकार ने भी पांचवे एवं छठे वेतन आयोग लागू करते समय मकान किराये भत्ते के एरियर का भुगतान नहीं किया है। वस्तुस्थिति में राज्य कर्मचारियों को पिछले वेतन आयोग के समय मकान किराया भत्ता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मुकाबले पांच माह बाद से दिया था।